

देवघर समाहरणालय

(जिला भू-अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

दिनांक : 25/05/17

अधिसूचना संख्या 324/भू अ0

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :-खागा, थाना :-पालोजोरी, थाना सं०-470, अंचल:-पालोजोरी, जिला :-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना- नोनीहाट-बासुकीनाथ -केराबानी-पालोजोरी-बगदाहा मोड़ पथ चौड़ीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :-खागा, थाना :-पालोजोरी, थाना सं०-470, अंचल:-पालोजोरी, जिला :-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.31 एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	12	266	रैयती	तालाब	0.04	सीताराम साह पिता महाप्रताप साह वो मोतिलाल साह पिता रामबरण साह वो सीता देवी पति बद्री साह वो विरंची देवी पति गोपाल साह वो कमली देवी पति अशेश्वर साह वो रामेश्वर साह वो अशोक साह वो मनोज साह पिता राजू साह।	रघुआ डीह	रास्ता,	रघुवा डीह	दाग नं०-264
2	12	270	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव				
3	12	268	रैयती	धानी-3	0.15	सीताराम साह पिता महाप्रताप साह वो मोतिलाल साह पिता रामबरण साह				
4	12	269	रैयती	धानी-3	0.08	कमली देवी पति अशेश्वर साह वो रामेश्वर साह वो अशोक साह वो मनोज साह पिता राजू साह।				
कुल योग					0.31					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह०/—

समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।

ज्ञापांक 374 / भू अ0, देवघर, दिनांक 29/05/2017 ई0

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।